कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 75 / 2023

श्री रमेश चन्द मदेरणा पुत्र श्री गजपत सिंह, गांव नगला बीजा, पोस्ट नगला तेहरहियॉं तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार उच्चैन जिला भरतपुर

.........रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 18.12.2023

अपीलार्थी श्री रमेश चन्द मदेरणा पुत्र श्री गजपत सिंह, गांव नगला बीजा, पोस्ट नगला तेहरहियॉं तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0 की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार उच्चैन जिला भरतपुर के खिलाफ इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 28–06–2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार उच्चैन जिला भरतपुर से सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार उच्चैन जिला भरतपुर द्वारा प्रार्थी को सूचना अपूर्ण एवं भ्रामक उपलब्ध कराई गई है। वांछित सूचना दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 789 दिनांक 07.12.2023 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार उच्चैन से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/23/2331 दिनांक 13.12.2023 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का अपील में कथन है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार उच्चैन ने अपूर्ण एवं भ्रामक उपलब्ध कराई गई है। लोक सूचना अधिकारी से प्रार्थी अपीलार्थी ने अपने आरटीआई प्रार्थना पत्र में निम्न बिन्दूओं पर सूचना चाही गई है :–

..........2

(2) अपील / आरटीआई / 75 / 2023

रमेश चन्द मदेरणा बनाम तहसीलदार उच्चैन

1– श्री सुबोध शर्मा का नियुक्ति पत्र कार्यग्रहण तिथि से आज दिनांक तक की सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रति।
2–जनवरी 2023 से आज दिनांक तक भुगतान प्राप्त किए अथवा भुगतान हेतु प्रस्तुत किए गये यात्रा भत्ता बिलों की प्रमाणित प्रति।
3–जनवरी 2022 से आज दिनांक तक आकस्मिक अवकाश की प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति।
4–जनवरी 2023 से आज दिनांक तक दैनिक डायरी की प्रमाणित प्रति।
5–जनवरी 2023 से आज दिनांक तक उपस्थिति पंजिका की प्रमाणित प्रति।

लोक सूचना अधिकारी अधिकारी तहसीलदार, उच्चैन से प्राप्त जबाब दिनांक 13.12.2023 का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी के उक्त जबाब के अवलोकन से जाहिर है कि बिन्दू संख्या 2 लगायत 5 की सूचना प्रार्थी अपीलार्थी को जरिये पत्रांक क्रमांक / एलआर / 23 / 1615 दिनांक 27.7.23 से रजिस्टर डाक उपलब्ध करादी गई है, जब कि बिन्दू संख्या 1 की सूचना व्यक्तिगत दस्तावेज की श्रेणी में आने से सूचना दिये जाने से इन्कार किया है।

इस प्रकार अपीलार्थी का यह कहना कि लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार उच्चैन द्वारा भ्रामक अपूर्ण जबाब दिया गया है स्वीकार योग्य नहीं है क्यों कि प्रार्थी को बिन्दू संख्या 2 लगायत 5 की सूचना उपलब्ध करादी गई है जहॉ तक प्रश्न बिन्दू संख्या 01 का है जो कि अन्य पक्ष की सूचना का है, इस सम्बन्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 के प्रावधानों के तहत लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना दिये जाने से इन्कार किया है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार उच्चैन के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है।

अतः अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति प्रार्थी को (लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, उच्चैन से प्राप्त पत्र की फोटो प्रति सलंग्न) कर प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, उच्चैन प्रेषित की जावे । इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर